

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक “छत्तीसगढ़/दुर्ग/ तक. 114-009/2003/20-1-03.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 4]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 5 जनवरी 2007 – पौष 15, शक 1928

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग

जी. ई. रोड, सिविल लाईन, रायपुर

रायपुर दिनांक 25 नवम्बर 2006

क्रमांक/18/सी.एस.ई.आर.सी./2006, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 181(2)(जेड एन) सहपठित धारा 130 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग एतद् द्वारा सूचना की तामीली व प्रकाशन संबंधी निम्नलिखित विनियम बनाता है:-

शीर्षक एवं प्रारंभ :

- 1.1 ये विनियम, **छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (सूचना की तामीली व प्रकाशन) विनियम, 2006** कहलायेंगे।
- 1.2 इनका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा।
- 1.3 ये विनियम छत्तीसगढ़ राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।
2. परिभाषाये:
 - 2.1 “अधिनियम” से अभिप्रेत है, विद्युत अधिनियम 2003 (2003 का 36)
 - 2.2 “आयोग” से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग।
 - 2.3 “सामग्री” से अभिप्रेत है, और इसमें समाहित है, कोई/समस्त मौखिक लिखित, अथवा दस्तावेजी जानकारी, जो आयोग को किसी व्यक्ति अथवा किसी अन्य स्रोत से जो प्राप्त हुई है।

- 2.4. "सूचना" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 130 के अंतर्गत आयोग द्वारा जारी या प्रकाशित सूचना ।
- 2.5 "आदेश" से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 129 के अंतर्गत दिया गया आयोग का आदेश ।
- 2.6 जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस विनियमन के शब्द व अभिव्यक्तियों के अर्थ वही होंगे जैसा कि विद्युत अधिनियम 2003 एवं छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (कार्य संचालन) विनियम, 2004 में परिभाषित है ।

3 सूचना की तामीली एवं कार्यवाही

- 3.1 जहाँ उपलब्ध सामग्री के आधार पर आयोग को संतुष्टि है कि माना गया (deemed) अनुज्ञप्तिधारी सहित कोई अनुज्ञप्तिधारी अपने अनुज्ञप्ति की किसी शर्तों का अथवा विमुक्ति देने हेतु शर्तों का उल्लंघन कर रहा है या करने वाला है, अनुज्ञप्तिधारी अथवा उत्पादन कम्पनी ने अधिनियम के किसी उपबंध या उपबंधों का उल्लंघन किया है अथवा करने वाला है, आयोग आदेश द्वारा आगे बताये अनुसार निर्देश देगा जैसा वह उचित और आवश्यक समझे ताकि शर्तों या उपबंधों का अनुपालन हो ।

3.2 जारी किये जाने वाले निर्देश के निर्धारण में आयोग विशेषकर निम्न बातों का ध्यान रखेगा:

- (ए) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उल्लंघन अथवा संभावित उल्लंघन इस अधिनियम के उद्देश्य और लक्ष्य को प्राप्त करने को किस सीमा तक प्रभावित करेगा ।
- (बी) प्रासंगिक शर्तों या आवश्यकताओं के उल्लंघन करते हुए कोई कार्यवाही करने अथवा न करने के फलस्वरूप किसी व्यक्ति विशेष को किस सीमा तक हानि या क्षति होती है, तथा
- (सी) वह सीमा जहाँ तक कि अपेक्षित प्रासंगिक शर्तों के तथाकथित उल्लंघन के संबंध में कोई दूसरा विकल्प उपलब्ध है अथवा नहीं

- 3.3 यदि आयोग निर्देश जारी करना चाहता है, तो वह अनुज्ञप्तिधारी या उत्पादन कम्पनी को सूचना देगा :

- (ए) यह बताते हुये कि वह निर्देश देना चाहता है; तथा
- (बी) यह उल्लेख करते हुये कि: –
- (i) प्रस्तावित निर्देश का उद्देश्य प्रासंगिक शर्तों या अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित कराना है,
- (ii) ऐसी कार्यवाही जिसका किया जाना अथवा न किया जाना, शर्त अथवा अपेक्षा के उल्लंघन की परिधि में आता है ।
- (iii) ऐसे कार्य के करने या न करने के परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति को किस सीमा तक हानि या क्षति, यदि कोई हो, पहुंच सकती है,
- (iv) अन्य तथ्य जो उसकी राय में, प्रस्तावित निर्देश को औचित्य प्रदान करते हैं; तथा
- (v) प्रस्तावित निर्देश का संभावित प्रभाव,

- (सी) सूचना में सूचना अवधि का उल्लेख होगा जिसके भीतर अनुज्ञप्तिधारी अथवा उत्पादन कम्पनी अथवा संभावित प्रभावी अथवा प्रभावित व्यक्ति, प्रस्तावित आदेश के संदर्भ में अभ्यावेदन या आपत्ति, कर सकता है,
- 3.4 आयोग द्वारा जारी की जाने वाली कोई भी सूचना या सूचना की अवधि 7 दिन से कम की नहीं होगी। प्रक्रिया की तामीली, आयोग के निर्देशानुसार, निम्न में से एक या अधिक प्रकार से होगी:
- (1) कार्यवाही के किसी पक्षकार अथवा याचिकाकर्त्ता द्वारा तामीली,
 - (2) वाहक के माध्यम से तामीली,
 - (3) पावती सहित पंजीकृत डाक से अथवा स्पीड पोस्ट से,
 - (4) इलेक्ट्रानिक माध्यम, ई-मेल या फ़ैक्स द्वारा,
 - (5) ऐसे मामलों में जहां आयोग संतुष्ट है कि सम्बन्धित व्यक्ति को उपरोक्त (1) से (4) द्वारा, सूचना देना व्यावहारिक रूप से तर्क संगत नहीं है तामीली, समाचार पत्र में प्रकाशित कर, की जा सकेगी।
- 3.5 संबंधित व्यक्ति को सूचना अथवा प्रक्रिया उसके द्वारा प्रदत्त पते पर या उसके प्रतिनिधि/अधिकृत अभिकर्त्ता के पते पर भेजी जानी चाहिये अथवा उस जगह पर जहाँ वह व्यक्ति अथवा उसका अभिकर्त्ता सामान्यतः निवास करता है, अथवा अपना व्यवसाय करता है।
- 3.6 आयोग के समक्ष लंबित किसी कार्यवाही, जिसमें सूचना तामीली हेतु अपेक्षित व्यक्ति पक्षकार हो और उसकी उपस्थिति जरूरी हो और उसने अपने प्रतिनिधित्व करने और उपस्थित होने हेतु किसी अन्य व्यक्ति को अधिकृत किया हो, तो ऐसा प्रतिनिधि उस व्यक्ति की तरफ से समस्त मामलों में हर दृष्टि से सूचना व कार्यवाही ग्रहण करने हेतु विधिवत प्राधिकृत माना जावेगा, एवं प्रतिनिधि को सूचना की तामीली उस व्यक्ति पर सूचना की तामीली मानी जावेगी। ऐसे प्रतिनिधि का यह कर्तव्य होगा कि वह सूचना प्राप्ति की जानकारी शीघ्र उस व्यक्ति को दे जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है।
- 3.7 जहाँ प्रभावित होने वाले व्यक्तियों की जानकारी हेतु सूचना को समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाना आवश्यक हो वहाँ इस प्रकार प्रकाशन ऐसे समय के भीतर तथा ऐसी रीति में जैसा कि आयोग उचित समझे किया जावेगा। सूचना का प्रकाशन एक हिन्दी एवं एक अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्रों के एक-एक संस्करण में जो आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट क्षेत्र में व्यापक प्रसार रखते हों, की जा सकती है। यदि उस क्षेत्र से अंग्रेजी समाचार पत्र प्रकाशित न होता हो तो सूचना दो हिन्दी समाचार पत्रों में प्रकाशित की जावेगी।
- 3.8 आयोग सूचना की तामीली अथवा तामीली के निर्देश ऐसी अन्य रिति में कर सकता है/ दे सकता है जैसा आयोग उचित समझे। आयोग अपने कार्यालय के सार्वजनिक सूचना पटल में सूचना चस्पा कर सकता है एवं अपनी वेबसाइट में भी प्रकाशित कर सकता है। ऐसी तामीली या प्रकाशन का व्यय भार, आयोग यथाप्रकरण, सम्बन्धित व्यक्ति(यों) पर प्रभारित करने का निर्णय लेने के लिये स्वतंत्र है।
- 3.9 सूचना की तामीली अथवा प्रकाशन को केवल इस कारण अवैध नहीं माना जावेगा कि व्यक्ति के नाम या विवरण में कोई त्रुटि है, बशर्त कि आयोग को संतुष्ट हो कि यह तामीली पर्याप्त थी। कोई भी कार्यवाही केवल इसलिये अवैध नहीं होगी कि उसमें कोई त्रुटि या तामीली या प्रकाशन में अनियमितता है, जब तक कि इस संबंध में आपत्ति प्रस्तुत करने पर आयोग यह मत न बना ले कि इस तरह की त्रुटि अथवा अनियमितता से अन्याय हुआ है या ऐसा होने का अन्यथा पर्याप्त कारण है।

4. संशोधन की शक्ति:

आयोग समय-समय पर आवश्यकतानुसार इन विनियमों को संशोधित, रूपांतरित अथवा अद्यतन कर सकेगा।

5. व्यावृत्तियाँ

5.1 इन विनियमों की कोई बात आयोग को ऐसे कोई भी आदेश देने की अंतर्निहित शक्तियों को, जो न्याय के उद्देश्य को पाने अथवा आयोग की प्रक्रिया के अनुचित लाभ को रोकने, जरूरी है, प्रभावित अथवा अन्यथा सीमित करने वाला नहीं मानी जावेगी।

5.2 इन विनियमों में किया गया कोई भी प्रावधान आयोग को अधिनियम के प्रावधानों के अनुसरण में कोई ऐसी प्रक्रिया अपनाने से नहीं रोकेगा जो यद्यपि इस विनियम के किन्हीं भी प्रावधानों से भिन्न हो परंतु जिसे आयोग, मामले या मामलों के वर्ग की विशेष परिस्थितियों के परिपेक्ष्य में, और इसके कारण अभिलिखित करते हुए, आवश्यक या समीचीन समझता हो।

नोट : हिन्दी संस्करण के इन विनियमों के प्रावधानों को समझने व व्याख्या करने में किसी तरह का अंग्रेजी संस्करण (मूल संस्करण) से अंतर होने पर अंग्रेजी संस्करण का तात्पर्य सही माना जावेगा और इस संबंध में किसी तरह का विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में, आयोग का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

आयोग के आदेश द्वारा

**(अजय श्रीवास्तव)
उपसचिव**



Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission

Civil Lines, G.E. Road, Raipur - 492 001 (C.G.)

Ph.0771-4073555, Fax: 4073553

No. 18/CSERC/2006, In exercise of the powers conferred by Section 181 (2) (zn) read with section 130 of the Electricity Act, 2003, the Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission hereby makes the following regulations relating to Manner of Service and Publication of Notice:

1. Short Title and Commencement

- 1.1 These Regulations shall be called the Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission (Manner of Service and Publication of Notice) Regulations, 2006.
- 1.2 These Regulations shall extend to the whole of the State of Chhattisgarh.
- 1.3 These Regulations shall come into force from the date of their publication in the Chhattisgarh Rajpatra.

2. Definition

- 2.1 '**Act**' means Electricity Act, 2003 (36 of 2003)
- 2.2 '**Commission**' means the Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission.
- 2.3 '**Material**' means and includes any/all oral, written or documentary information received by the Commission from any person or any other source.
- 2.4 '**Notice**' means notice issued or published by the Commission under section 130 of the Act.
- 2.5 '**Order**' means order of the Commission given under section 129 of the Act.
- 2.6 Unless the context otherwise requires, the words and expressions in these Regulations, shall bear the same meaning as defined in the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), and the Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission (Conduct of Business) Regulations 2004.

3. Service of Notices and Processes

- 3.1 Where the Commission, on the basis of material in its possession, is satisfied that a licensee including a deemed licensee is contravening, or is likely to contravene, any of the conditions in his licence; or conditions for grant of exemption or the licensee or the generating company has contravened, or is likely to contravene, any of the provisions of the Act, it shall, by an order give such directions, in the manner herein after provided, as it considers necessary, for the purpose of securing compliance with that condition(s) or provision(s).

- 3.2 In determining the direction to be issued, the Commission shall have regard, in particular to: -
- (a) the extent to which the contravention or likely contravention by the licensee will affect the achievement of the objects and purposes of this Act;
 - (b) the extent to which any person is likely to sustain loss or damage in consequence of anything which is likely to be done, or omitted to be done, in contravention of the relevant condition or requirement, and
 - (c) the extent to which there is any other remedy available in respect of the alleged contravention of the relevant condition(s) or requirement.
- 3.3 If the Commission proposes to issue a direction, it shall give a notice to the licensee or to the generating company. :
- (a) stating that it proposes to issue a direction and
 - (b) containing the following:
 - (i) the relevant conditions or requirement that the proposed direction is intended to secure compliance of ;
 - (ii) the acts of commission or omissions which in its opinion constitute contravention of that condition or requirement;
 - (iii) the extent to which any person is likely to sustain loss or damage, if any, in consequence of such act of commission or omission
 - (iv) other facts which in its opinion justify the proposed direction; and
 - (v) the likely effects of the proposed direction;
 - (vi) the notice shall also specify the period within which the licensee or the generating company or the persons likely to be affected, or affected, may make representations or objections to the proposed order. The notice period shall not be less than seven days.
- 3.4 Any notice or process to be issued by the Commission may be served by any one or more of the following modes, as may be directed by the Commission:
- (1) service by the petitioner or any other party in the proceedings,
 - (2) by hand delivery through a messenger;
 - (3) by registered post with acknowledgement due or speed post;
 - (4) through electronic medium by e-mail or fax; and
 - (5) in cases where the Commission is satisfied that it is not reasonably practicable to serve the notice, processes, etc. on any person in the manner mentioned in (1) to (4) above, notice may be served by publication in newspaper.

- 3.5 Every notice or process required to be served on or delivered to any person may be sent to the person or his agent authorized to accept service at the address furnished by him for service, or at the place where the person or his agent ordinarily resides or carries on business.
- 3.6 In the event of any proceeding pending before the Commission in which the person to be served is a party and his presence is required and he has authorised a representative to appear for or represent him in the matter, such representative shall be deemed to be duly authorised to take service of the notices and processes on behalf of the person concerned in all matters and the service on such representative shall be taken as due service on the person to be served. It shall be the duty of such representative to duly inform the person whom he represents of the service of the notices.
- 3.7 Where any notice is required to be published for the purpose of bringing any matter to the knowledge of persons likely to be affected by it, it shall be published within such time and in such manner as the Commission considers appropriate. The notice shall be published in one issue each of a daily newspaper in Hindi language and in English language having wide circulation in the area specified by the Commission. In case English newspaper is not published from the area, the notice will be published in two Hindi newspapers.
- 3.8 The Commission may also effect service, or give directions for effecting service, in any other manner it considers appropriate. The Commission may place notice of any proceedings on the public notice board in its office and in its website. The Commission shall be free to decide in each case the person(s) who shall bear the cost of such service or publication.
- 3.9 Service or publication of notice shall not be deemed invalid by reason of any defect in the name or description of a person provided that the Commission is satisfied that such service in other respects is sufficient; and no proceeding shall be invalidated by reason of any defect or irregularity in the service or publication unless the Commission, on an objection filed in this regard, is of the opinion that injustice has been caused by such defect or irregularity or there are otherwise sufficient reasons for doing so.

4. Power to Amend

The Commission may, at any time add, vary, alter, modify or amend any provisions of these regulations.

5. Savings

- 5.1 Nothing in these Regulations shall be deemed to limit or otherwise affect the inherent power of the Commission to make such orders as may be necessary to meet the ends of justice or to prevent abuses of the process of the Commission.
- 5.2 Nothing in these Regulations shall bar the Commission from adopting in conformity with the provisions of the Act, a procedure which is at variance with any of the provisions of these Regulations, if the Commission, in view of the

special circumstances of a matter or class of matters, and for reasons to be recorded in writing, deems it necessary or expedient for dealing with such a matter or class of matters differently.

Note: In case of any difference in the interpretation or understanding of the provisions of the Hindi version of these Regulations with that of the English version (the original version), the latter will prevail and in case of any dispute in this regard, the decision of the Commission shall be final and binding.

By the order of the Commission

(Ajay Srivastava)
Dy. Secretary

परिशिष्ट –1

घोषणा पत्र तथा शपथ पत्र के प्रारूप प्रारूप 1

मैं (व्यक्ति का नाम) आयोग में(पद का नाम) के पद पर कार्यरत हूँ, सत्यनिष्ठा पूर्वक घोषित करता हूँ कि मैंने (सूचना प्राप्त करने वाले व्यक्ति का नाम) को आयोग द्वारा जारी सूचना पत्र की तामील कर दी है । तामील उसके पते पर कर दी है । सूचना पत्र संबंधित व्यक्ति के/उसके (संबंधित व्यक्ति से रिश्ता) के हाथों में देकर सूचना पत्र की दूसरी प्रति में उसके हस्ताक्षर लिये ।

(हस्ताक्षर)

नाम व पद

प्रारूप 2

मैं (व्यक्ति का नाम) आयोग में(पद का नाम) के पद पर कार्यरत हूँ, सत्यनिष्ठा पूर्वक घोषित करता हूँ कि मैं (सूचना प्राप्त करने वाले व्यक्ति का नाम) के पते पर सूचना पत्र देने गया था । मौके पर मुझे (संबंधित व्यक्ति का नाम) स्वयं/उसका (संबंधित व्यक्ति से रिश्ता) उपस्थित मिला, जिसको सूचना पत्र देने का मैंने प्रयास किया तो उसने सूचना पत्र लेने से इंकार किया । अतः लेने से इंकार करने के संबंध में पृष्ठांकन के साथ अनिर्वहित सूचना पत्र एतद् द्वारा वापस करता हूँ ।

(हस्ताक्षर)

नाम व पद

प्रारूप 3
शपथ पत्र

- मैं (शपथकर्ता का नाम) आत्मज
- आयु वर्ष निवासी (पता) शपथपूर्वक निम्नलिखित कथन करता हूँ :-
1. मुझे आयोग द्वारा दस्ती तामील के रूप में नोटीस की तामील (सूचना पत्र से संबंधित व्यक्ति का नाम) को करने का निर्देश दिया गया था ।
 2. यह कि मैं, आयोग के निर्देशानुसार (सूचना प्राप्त करने वाले व्यक्ति का नाम) केपते पर सूचना पत्र देने गया था । मैंने (सूचना प्राप्त करने वाले व्यक्ति का नाम) को आयोग द्वारा जारी सूचना पत्र की तामील उसके पते पर कर दी है। सूचना पत्र संबंधित व्यक्ति के/उसके (संबंधित व्यक्ति से रिश्ता) के हाथों में देकर सूचना पत्र की दूसरी प्रति में उसके हस्ताक्षर लिये ।

अथवा

यह कि मैं, आयोग के निर्देशानुसार (सूचना प्राप्त करने वाले व्यक्ति का नाम) केपते पर सूचना पत्र देने गया था । मौके पर मुझे (संबंधित व्यक्ति का नाम) स्वयं/उसका (संबंधित व्यक्ति से रिश्ता) उपस्थित मिला, जिसको सूचना पत्र देने का मैंने प्रयास किया तो उसने सूचना पत्र लेने से इंकार किया। अतः लेने से इंकार करने के संबंध में पृष्ठांकन के साथ अनिर्वहित सूचना पत्र एतद् द्वारा वापस करता हूँ।

(हस्ताक्षर)
शपथकर्ता

सत्यापन

मैं (शपथकर्ता का नाम) उपरोक्त शपथकर्ता सत्यापित करता हूँ कि उपरोक्त कंडिका 1 व 2 के कथन मेरे व्यक्तिगत ज्ञान में सत्य व सही है ।

(हस्ताक्षर)

शपथकर्ता